न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 216/2025
जीसीएमएस नं. 2025/434
प्रार्थी/निगरानीकारः–
मुकनाराम पुत्र श्री छोगाराम उम्र 76 वर्ष निवासी ग्राम भटिण्डा, तहसील कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर।
अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–
1. श्रीमती गजरा कुमारी पत्नी स्व. श्री अनिल कुमार उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम भटिण्डा, तहसील कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत भटिण्डा, पं.स. लूणी, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा दिनांक 09.12.2021, जो ग्राम पंचायत भटिण्डा, पं.स. लूणी द्वारा पट्टा बुक नं. 86 मिसल सं. 75/2021–22 दायर दिनांक 20.09.2021 पट्टा कमांक 29 बहक गजरा कुमारी पत्नी श्री अनिल कुमार के नाम पर जारीसुदा।

उपस्थितिः–
1. अधिवक्ता श्री अक्षय सुराणा (प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

दिनांक 20.02.2026

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–97 के अन्तर्गत, ग्राम पंचायत भटिण्डा, पंचायत समिति, लूणी (जोधपुर) द्वारा ग्राम भटिण्डा में मिसल संख्या–75/2021–22 दायर 20.09.2021 में पट्टा बुक संख्या–86 में से पट्टा नम्बर–29 दिनांक 09.12.2021 बहक गजरा कुमारी को अपास्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 15.07.2025 को प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी–गजरा कुमारी की ओर से श्री सोनाराम चौधरी, एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत भटिंडा से मूल रिकार्ड मंगवाया गया।
3. निगरानी मीमों में वर्णित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि ग्राम भटिंडा में आई हुई है, जिसका 15161.25 वर्गफुट का सामलाती पट्टा ग्राम पंचायत भटिण्ड़ा द्वारा मिसल संख्या 41 तारीख दायरा 31.07.1959 पट्टा न. 9 (रजिस्टर न. 5) दिनांक 23.12.1962

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

प्रार्थी के पिता छोगाराम व उनके भाई गुमानलाल, नरसीगलाल व मोहनलाल पुत्र मूलाराम को नाम जारी किया हुआ है। उक्त चारों भाइयों ने मौखिक पारिवारिक समझौता से उक्त पट्टे की जायदाद छोगाराम व गुमानलाल को आधा–आधा हिस्सा दे दी तथा नरसींगलाल व मोहनलाल को गांव में अन्य सम्पति दी गई। छोगाराम ने अपने 1/2 हिस्सा में से भूमि का बंटवारा अपने चारों पुत्र प्रार्थी मुकनाराम, पोकरराम, बाबूलाल व इन्द्रचन्द को मौखिक पारिवारिक समझौता से बंट में दे दी। इस प्रकार प्रार्थी का कुल आराजी में 1/8 हिस्सा बंट में आया। प्रार्थी ने अपने हिस्से का कोई बंटवारा नहीं किया। प्रार्थी के तीन पुत्र प्रभूराम, अनिल कुमार व महेन्द्र है। महेन्द्र व अनिल कुमार को दो अलग–अलग मकान बनाकर दिए, जिसमें से एक मकान में अनिल कुमार की विधवा पत्नी गजरा कुमारी अप्रार्थी 1 निवासरत है प्रार्थी के पुत्र प्रभूराम ने अभी हाल में प्रार्थी की सहमति से, अप्रार्थी 1 के वर्तमान निवास की पूर्वी दिशा की ओर आई हुई प्रार्थी की जमीन पर मकान बनाना शुरू किया तो अप्रार्थी ने प्रभूराम को रोका तथा अतिरिक्त सिविल न्यायालय संख्या 3 जोधपुर महानगर के समक्ष एक सिविल बाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रभूराम व महेन्द्र के विरूद्ध प्रस्तुत किया तथा साथ में ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा मिसल संख्या 75/2021–22, पट्टा बुक संख्या 86, पट्टा संख्या 29 दिनांक 09.12.2021 को जारी होना बताया, जो उपपंजीयक प्रथम, जोधपुर में दिनांक 04.04.2022 को पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1025 पृष्ठ संख्या 71 क्रम संख्या 202203051102166 पर रजिस्टर्ड है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे की नकल देने से मना कर दिया। ग्राम पंचायत के अधिकारियों ने मिली भगत करके राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत भूखण्ड पर 50 वर्षो से अधिक पुराना भवन निर्मित बताकर व कब्जा बताकर, अप्रार्थी 1 के नाम आक्षेपित पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा एक बार पट्टा जारी किया जा चुका था, तो पुनः उसी सम्पति का पट्टा ग्राम पंचायत जारी नही कर सकती। ग्राम पंचायत ने रिकार्ड की जांच किए बिना ही अवैध तरीके से प्रार्थी व उसके भाइयों की सम्पति पर अप्रार्थी 1 को नाजायज फायदा पहुचानें की नीयत से दुबारा पट्टा उसी भूमि पर जारी किया है, जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी 1 ने पुराना कब्जा होने का कोई दस्तावेज पेश नही किया है, फिर भी नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी 1 ने झुठा शपथ पत्र दिया है। प्रार्थी ने अपने स्वामित्व की भूमि कभी भी अप्रार्थी 1 को हस्तान्तरित नहीं की है तथा न ही पट्टा बनाने हेतु कभी सहमति दी है। पट्टा जारी करने के नियम 136 से 155 तक की पालना नहीं की है सम्पति का मौका भी नही देखा गया है तथा न ही सार्वजनिक आपत्तियां आमन्त्रित की गई है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अतः निगरानी स्वीकार की जावे तथा आक्षेपित पट्टा संख्या 29 दिनांक 09.12.2021 को खारिज किया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की बहस निगरानी पर सुनी गई।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षय सुराणा ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मुकनाराम अप्रार्थी 1 का ससुर है। अप्रार्थी 1 के नाम दिनांक 09.12.2021 को पट्टा संख्या 29 जारी किया है, जबकि इसी भूमि का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत ने पट्टा नं. 9 दिनांक 23.12.1962 को सामलाती जारी कर दिया था तथा प्रार्थी ने अपने हिस्से में से एक मकान बनाकर अप्रार्थी 1 के पति स्वर्गीय अनिल कुमार को दे दिया था, फिर भी ग्राम पंचायत ने दुबारा पट्टा जारी किया है जो गलत है, प्रार्थी ने आक्षेपित पट्टे की भूमि को कभी भी अप्रार्थी 1 को ट्रांसफर नही की है। 1996 के नियमों में विहित प्रक्रिया अपनाये बिना नियम 157(1) के तहत नियमितीकरण का पट्टा मात्र 200 रू वसूल करके जारी नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी 1 स्वयं की उम्र ही 50 वर्ष नहीं थी, तो 50 वर्षो का पुराना कब्जा किसी आधार पर माना गया। अप्रार्थी 1 द्वारा सिविल वाद दायर करने के कारण, आक्षेपित पट्टे की जानकारी हुई। अतः निगरानी को अन्दर मियाद माना जावे।

विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन रहा कि छोगाराम से लेकर, आज दिन का विवादित भूखण्ड का बंटवाडा मौखिक पारिवारिक समझौता से होता रहा है, जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं है अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

6. प्रार्थी की उक्त बहस का खण्डन करते हुए, अप्रार्थी 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री सोनाराम चौधरी का कथन है कि प्रार्थी विधवा अप्रार्थी 1 का ससुर है तथा अप्रार्थी 1 के एक पुत्री है। पारिवारिक विवाद के कारण सिविल कोर्ट में दावा किया गया है, जिसमें फिलहाल अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसमें प्रार्थी ने स्वीकार किया है। उक्त विवाद के कारण ही यह निगरानी पेश की है।

छोगाराम के नाम कोई पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत ने जारी नहीं किया है। प्रार्थी को निगरानी पेश करने का कोई अधिकार ही नहीं है। पूर्व में जारी पट्टे का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। ग्राम पंचायत ने आक्षेपित पट्टा सही जारी किया है। कथित पट्टा सन् 1959 में जारी किया जाना बताया है। उस समय 15161 वर्गफुट का पट्टा जारी करने का कोई कानून नहीं था। शामलाती पट्टे के अन्य पट्टा धारकों के कोई शपथ पत्र पेश नही किए है। शामलाती पट्टा का बंटवारा करने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। निगरानी के पैरा 4 में अंकित कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है। प्रार्थी मुकनाराम द्वारा अपने तीनों पुत्रों को अपने हिस्से में से जमीन देने का

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कोई दस्तावेज पेश नही किया है। प्रार्थी मुकनाराम जोधपुर में रहता है, आक्षेपित पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी 1 का ही कब्जा है । अतः निगरानी अस्वीकार की जावे।

7. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन कर अवलोकन किया। ग्राम पंचायत भटिंडा से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्को पर मनन किया।

8. (a) ग्राम पंचायत भटिंडा से प्राप्त मिसल संख्या 75/2021–22 पट्टा बुक संख्या 86 में उपलब्ध पट्टा से 29 दिनांक 09.12.2021 एवं ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर दिनांक 20.09.2021 से 09.12.2021 तक में दर्ज बैठक में पारित संकल्पों से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 1 गजरा कुमारी के नाम पर 92.74 वर्गगज का आवासीय पट्टा 29 दिनांक 09.12.2021 को निम्न पडौसों के बीच स्थित भूमि का जारी किया है

उत्तर– प्रभूराम पुत्र मुकनाराम व रास्ता
दक्षिण– बाबुलाल पुत्र छोगाराम
पूर्व– आम रास्ता
पश्चिम– महेन्द्र पुत्र मुकनाराम

उक्त विवरण का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत 200 रूपये की राशि वसूल करके, आवंटिती का 50 वर्ष से अधिक पुराने घर पर कब्जा मानकर नियमितीकरण से जारी कियां है। परंतु पत्रावली पर आवेदक गजरा कुमारी का 50 वर्ष से भी पुराना मकान भूखण्ड पर निर्मित होने का कोई दस्तावेज नहीं है। सिर्फ दो गवाह अन्नाराम व रूपाराम तथा स्वयं गजरा कुमारी के बयान उपलब्ध है।

(b)1996 के नियम 148 के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रपत्र 22 में दिनांक 20.10.2021 को जारी किया गया है, परंतु यह नोटिस आक्षेपित विवादग्रस्त संपति पर सदृश्य स्थान पर किस तारीख को चस्पा किया गया है, इसका कोई अंकन नोटिस की परत पर नहीं है। मात्र अनाराम व रूपाराम के हस्ताक्षर है। इस प्रकार नियम 148 की पालना नहीं की गई है, जिसके कारण हितबद्ध या व्यथित व्यक्तियों द्वारा अपनी आपत्तियां आमंत्रित निर्धारित अवधि में ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जा सकी। यह प्रावधान आज्ञात्मक है।

(c)निगरानीकार मुकनाराम ने निगरानी के साथ ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा मिसल सं. 41, दायरा तारीख 31.07.1959 में जारी पट्टा सं. 9 (रजिस्टर नं. 3) दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

23.12.1962 बनाप 15151.25 वर्गगज, बहक छोगाराम, गुमानलाल, नरसीगलाल, मोहनलाल पिता मूलाराम कौम जटिया साकिन भटिण्डा तहसील, जोधपुर बहिस्सा बराबर, की फोटोप्रति पेश की है। यह पट्टा भूमि विक्रय नियम की धारा 18 के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटिण्डा द्वारा भूमि का मूल्य 236.75 रूपये आंक कर, पंचायत के संकल्प सं. 5 दिनांक 26.04.59, से निर्धारित करने के बाद, 6.25 प्रतिशत की रकम 15 रूपये ग्राम पंचायत में रसीद सं. 28 दिनांक 23.12.1962 को जमा करके दिनांक 23.12.1962 को सरदार सिंह सरपंच, ग्राम पंचायत भटिण्डा के हस्ताक्षरों से जारी किया जाना अंकित है।

उक्त पट्टे की भूमि के पडौस इस प्रकार पट्टे की पुश्त पर अंकित किये हुए है–

पूर्व में– पडत भूमि

पश्चिम में– पडत रास्ता भटिण्डा, मोरटुका का

उत्तर–पडत रास्ता भटिण्डा, रानोला का

दक्षिण– खुद का मकान व बीच में बास का रास्ता

(d)निगरानीकार का कथन है कि छोगाराम, गुमानलाल, नरसिंगलाल व मोहनलाल ने आपस में उक्त जायदाद का मौखिक पारिवारिक विभाजन का समझौता किया तथा उक्त जायदाद छोगाराम व गुमानलाल को बहिस्सा बराबर में दी गई। छोगाराम निगरानीकार के पिता है। छोगाराम ने अपने हिस्से की जायदाद का समान रूप से बंटवारा करके अपने चारों पुत्रों यथा प्रार्थी मुकनाराम, पोकरराम, बाबुलाल व इन्द्रचंद में बांट दी। इस प्रकार प्रार्थी के बंट में छोगाराम के 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्सा बंट में आई।

निगरानीकार मुकनाराम ने अपने बंट में आई 1/8 हिस्सा की संपति पर अपने तीन पुत्र प्रभुराम, महेन्द्र व प्रत्यर्थी 1 गजरा कुमारी के पति स्वर्गीय अनिल कुमार में से अनिल कुमार व महेन्द्र को मकान बनाकर दे दिये, जिसमें अप्रार्थी 1 अनिल कुमार के मकान में वर्तमान में निवास कर रही है। फिर भी अप्रार्थीया 1 ने ग्राम पंचायत से मिलावट करके, अपने मकान के पूर्व में स्थित प्रार्थी की भूमि का अपीलाधीन पट्टा प्राप्त कर लिया, जो विधि प्रावधानों के विपरीत है। ग्राम पंचायत को पूर्व में ही जारी पट्टो वाली प्राईवेट भूमि का विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

(e)हमने आक्षेपित पट्टा सं. 29 दिनांक 09.12.2021 में अंकित पडौस व निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत पट्टा दिनांक 23.12.1962 में अंकित पडौसों का मिलान किया तथा

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निगरानीकार द्वारा निगरानी मीमों में वर्णित पारस्परिक आपसी समझौता से किये गये बंटवारा की आसामियों का मिलान किया। अप्रार्थी 1 को जारी आक्षेपित पट्टे के उत्तर में, निगरानीकार के पुत्र प्रभुराम व रास्ता दर्शाया है, दक्षिण में निगरानीकार का भाई बाबुलाल पुत्र छोगाराम, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में प्रार्थी का पुत्र महेन्द्र का पडौस दर्शाया है।

निगरानीकार ने अप्रार्थी 1 पर प्रभुराम को दी जाने वाले भूमि का पट्टा अवैध रूप से प्राप्त करने का आरोप लगाया है तथा अनिल कुमार (अप्रार्थी 1 का दिवंगत पति) को, प्रार्थी द्वारा दिये गये भूखण्ड पर अप्रार्थी 1 का निवास बताया है। इस प्रकार अप्रार्थी 1 व प्रभुराम एक दूसरे के पडौसी प्रतीत होते है तथा प्रभुराम को अप्रार्थी 1 के उत्तर में पडौसी बताया है।

उक्त तथ्यात्मक विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी 1 गजराकुमारी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 29 दिनांक 09.12.2021 बनाप 92.74 वर्गगज की भूमि, ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टा सं. 09 दिनांक 23.12.1962 मिसल सं. 41 दिनांक 31.07.1959 की भूमि का भाग प्रतीत होती है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों अनुसार, ग्राम पंचायत को अपने क्षेत्राधिकार की आबादी भूमि का ही विक्रय करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को पूर्व में विक्रय की गई प्राईवेट भूमि को पुनः विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि आक्षेपित पट्टा जारी करने से पूर्व, पूर्व में जारी किये गये पट्टो वाली भूमि का अपने रिकॉर्ड से जांच करती परंतु इस प्रकरण में ऐसी जांच किया जाना नहीं पाया जाता है।

(f)इस निगरानी में ग्राम पंचायत को अप्रार्थी सं. 2 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है तथा ग्राम पंचायत पर नोटिस तामिल होने के बावजूद भी, ग्राम पंचायत की ओर से न तो किसी ने उपस्थिति दी है तथा न ही प्रकरण में लिखित जवाब पेश किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी 1 से दुरभिसंधि (Collussion) करके, गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी 1 के पक्ष में प्राईवेट भूमि पर आक्षेपित पट्टा जारी किया है, जो निगरानी में निरस्त करने योग्य है।

(g)माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा (2010)4 RLW 3575: (2010)4 WLC 304: 2010 SCC online Raj. 4801 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:

Rajasthan Panchayati Raj Act 1994, section 97- Cancellation of Pattas-

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Gram Panchayat allotted the disputed land to respondent no. 2 on 18.12.1949 Again the Gram Panchayat issued patta of the same land in favour of petitioner on 03.11.1981. In revision Addl. Collector while excercising powers u/s 97, cancelled the pattas.

Held: The land was not available to be sold by Gram Panchayat, as it had already been allotted to the respondent no. 2 way back on 18.12.1949 Gram Panchayat not rebutted it, contrary to it, it chose to remain absent. It is a case of collusion drawing adverse inference, writ petition dismissed with costs of Rs. 5000/- .(Paras 8 to 12)

(h)प्रकरण में सिविल कोर्ट में वाद लंबित होने बाबत, कोई दस्तावेज इस न्यायालय में किसी भी पक्ष ने पेश नहीं किये है।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय स्थिति का विवेचन एवं विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, भटिण्डा ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके आक्षेपित पट्टा सं. 29 दिनांक 09.12.2021, अप्रार्थी सं. 1 गजरा कुमारी के पक्ष में जारी किया है, जबकि आक्षेपित भूमि का पट्टा पूर्व में ही दिनांक 23.12.1962 को, प्रार्थी के पूर्वजों के नाम जारी किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी आक्षेपित पट्टा व इस संबंध में पारित संकल्प, नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य है तथा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97 स्वीकार योग्य है।

आदेश

10. परिणामस्वरूप, यह निगरानी सं. 216/2025 (2025/434) अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भटिण्डा पं.स. लूणी द्वारा मिसल सं. 75/2021–2022 दायरा तारीख 20.09.2021 में पट्टा बुक सं. 86 (प्रारूप 23क) में से जारी पट्टा सं. 29 दिनांक 09.12.2021 बहक गजरा कुमारी पत्नी अनिल कुमार, बनाप 92.74 वर्गगज खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पंचायत द्वारा पारित संकल्प सं. 04 दिनांक 20.09.2021, संकल्प सं. 2 दिनांक 05.10.2021, संकल्प सं. 02 दिनांक 20.10.2021, संकल्प सं. 02 दिनांक 22.11.2021, संकल्प सं. 03 दिनांक 06.12.2021 को इस आक्षेपित पट्टे की सीमा तक को भी अपास्त किया जाता है।

11. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत भटिण्डा को लौटाया जावे। ग्राम पंचायत भटिण्डा अपने स्तर पर, ग्राम पंचायत को रिकॉर्ड से निगरानीकर्ता द्वारा मिसल सं. 41 दायर तारीख 31.07.1959 में जारी पट्टा सं. 9 (रजिस्टर सं. 3) दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

23.12.1962 की जांच करने हेतु स्वतंत्र है। जांच में अगर उक्त विवरण का पट्टा जारी होना नहीं पाया जाता है तो ग्राम पंचायत नियमानुसार उक्त पट्टे की भूमि का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है।

12. निगरानी में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र, मूल निगरानी के निर्णित हो जाने के कारण, एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

13. निगरानी में लंबित अन्य प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) का भी निस्तारण किया जाता है।

14. पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह. निर्णय आज दिनांक 20.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अति. जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर